न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर०ए०एस०)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 19/2018
(आरसीएमएस नम्बरः—2018/00021)

उनवान प्रकरण

भीमसेन पुत्र तातिया जाति मल्हा निवासी ग्राम कामरे का पुरा तहसील व जिला धौलपुर
.................अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर
..................रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश नामान्तरकरण संख्या 188
दिनांक 02.01.1983 बॉके ग्राम बीछिया
तहसील धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट की ओर से :— श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभि०

निर्णय दिनांक : 08.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 225मिन रकवा 3 वीधा वांके ग्राम वीछिया का आवंटन कमेटी द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 26.6.1976 को आवंटन किया था मौके पर कब्जा प्रदान किया। नामान्तकरण संख्या 188 ग्राम वीछिया दिनांक 2.1.1983 को तहसीलदार धौलपुर ने स्वीकार किया लेकिन आवन्टी भीमसेन के स्थान पर पटवारी हल्का ने लिपिकीय भूल से भीमसिंह पुत्र रतिया के नाम से दाखिला खारिज में अंकित कर दिया उक्त आदेश से असन्तुष्ठ होकर अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि आवंटन आवेदन पत्र में भीमसेन पुत्र तातिया निवासी कामरे का पुरा मजरा वसईनीम तहसील धौलपुर अंकित है पटवारी रिर्पोट कार्यालय तहसीलदार तहसील धौलपुर भीमसेन पुत्र तातिया अंकित है आवटंन कमेटी के आदेश दिनांक 26.6.1976 ग्राम वीछिया खसरा नम्बर 225मिन रकवा 3 वीधा आवंटित किया जाता है का अंकन स्पष्ट है परन्तु पटवारी

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

हल्का ने त्रृटिवश भीमसिंह पुत्र रतिया नामान्तकरण में अंकन कर दिया जो आवटन आदेश के विपरीत है। नामान्तकरण स्वीकार होने के पश्चात राजस्व अभिलेख में जमाबन्दी नम्बर 220 वीछिया भीमसिंह पुत्र तातिया कौम मल्हा साकिन देह गैरखातेदार सम्वत 2043 से 2046 में अंकन कर दिया तथा जमाबन्दी सं0 246 ग्राम वीछिया सम्वत 2047 से 2050 भीकमसिंह पुत्र तातिया जाति मल्हा साकिन देह गैरखातेदार का राजस्व रिकार्ड में इन्द्रांज कर दिया जो वर्तमान तक इन्द्रांज है। अपीलान्ट पिछडी जाति का अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्रांज को सही नाम करने के लिये कई पटवारी हल्का से कहा तो हर बार आगामी जमाबदीं में शुद्व हो जावेगा कहकर टालते रहे लेकिन शुद्व नहीं किया। दिनांक 11.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के अन्तर्गत खातेदारी का आवेदन किया तो गलत नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज होने के कारण अदालत में कार्यवाही की सलाह तहसीलदार धौलपुर ने दी कहा कि नामान्तकरण का नाम शुद्व करने का अधिकार अदालत को है। तहसीलदार को नहीं है। तब जांच करवायी तो आवटंन कार्यवाही में नाम सही होना व नामान्तकरण व राजस्व रिकार्ड में गलत होना पाया गया। ऐसे अवैध व शून्य आदेश को अपास्त के लिए अवधि नहीं है। ज्ञान से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। ऐसे शून्य आदेशों के विरूद्व म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है ऐंसे शून्य आदेशों को सक्षम न्यायालय में कभी भी चुनौती दी जा सकती है। फिर भी धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 188 ग्राम वीछिया दिनांक 2.1.1983 तहसीलदार धौलपुर निरस्त किया जाकर पुनः नामान्तकरण आवंटन आदेश के मुताविक दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के सर्मथन में नकल प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र आवटंन आदेश दिनांक 26.6.1976 आवटंन कमेटी वीछिया, नकल प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 188 ग्राम वीछिया, नकल जमाबन्दी सम्वत 2043 से 2046, नकल जमाबन्दी सम्बत 2047 से 2051, नकल जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 ग्राम वीछिया एव नकल छायाप्रति पहचान पत्र भीमसेन पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलव किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई ।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 225मिन रकवा 3 वीधा का आवंटन कमेटी द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 26.6.1976 को आवंटन किया था। नामान्तकरण संख्या 188 दिनांक 2.1.1983 को तहसीलदार धौलपुर ने स्वीकार किया लेकिन आवन्टी भीमसेन के स्थान पर पटवारी हल्का ने लिपिकीय भूल से भीमसिंह पुत्र रतिया के नाम से दाखिला खारिज में अंकित कर दिया आवंटन आवेदन पत्र में भीमसेन पुत्र तातिया अंकित है पटवारी रिर्पोट कार्यालय तहसीलदार तहसील धौलपुर भीमसेन पुत्र तातिया अंकित है परन्तु पटवारी हल्का ने त्रृटिवश भीमसिंह पुत्र रतिया नामान्तकरण मे अंकन कर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

दिया जो आवटंन आदेश के विपरीत है। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्रांज को सही नाम करने के लिये कई पटवारी हल्का से कहा तो हर बार आगामी जमाबदीं में शुद्व हो जावेगा कहकर टालते रहे लेकिन शुद्व नहीं किया। दिनांक 11.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के अन्तर्गत खातेदारी का आवेदन किया तो गलत नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज होने के कारण अदालत में कार्यवाही की सलाह तहसीलदार धौलपुर ने दी कहा कि नामान्तकरण का नाम शुद्व करने का अधिकार अदालत को है। तहसीलदार को नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पुनः जांच करायी जाकर नाम शुद्व किया जाना उचित होगा।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 225मिन रकवा 3 वीधा का आवंटन कमेटी द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 26.6.1976 को आवंटन किया था। नामान्तकरण संख्या 188 दिनांक 2.1.1983 को तहसीलदार धौलपुर ने स्वीकार किया लेकिन आवन्टी भीमसेन के स्थान पर पटवारी हल्का ने लिपिकीय भूल से भीमसिह पुत्र रतिया के नाम से दाखिला खारिज में अंकित कर दिया आवंटन आवेदन पत्र में भीमसेन पुत्र तातिया अंकित है जो आवटंन आदेश के विपरीत है जिसे शुद्व किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आवंटन आवेदन पत्र में भीमसेन पुत्र तातिया निवासी कामरे का पुरा मजरा वसईनीम तहसील धौलपुर अंकित है पटवारी रिर्पोट कार्यालय तहसीलदार तहसील धौलपुर भीमसेन पुत्र तातिया अंकित है आवटंन कमेटी के आदेश दिनांक 26.6.1976 ग्राम वीछिया खसरा नम्बर 225मिन रकवा 3 वीधा आवंटित किया जाता है का अंकन स्पष्ट है परन्तु पटवारी हल्का ने त्रृटिवश भीमसिंह पुत्र रतिया नामान्तकरण में अंकन कर दिया जो आवटन आदेश के विपरीत है। नामान्तकरण स्वीकार होने के पश्चात राजस्व अभिलेख में जमावन्दी नम्बर 220 वीछिया भीमसिंह पुत्र तातिया कौम मल्हा साकिन देह गैरखातेदार सम्बत 2043 से 2046 में अंकन कर दिया तथा जमाबन्दी सं0 246 ग्राम वीछिया सम्बत 2047 से 2050 भीकमसिह पुत्र तातिया जात मल्हा साकिन देह गैरखातेदार का राजस्व रिकार्ड में इन्द्रांज कर दिया जो वर्तमान तक इन्द्राज है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पहचान पत्र से प्रथम दृष्टया अपीलान्ट के कथनो की पुष्टि होती है। इस तथ्य को विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 188 दिनांक 2.1.1983 ग्राम वीछिया तहसील धौलपुर निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट के नाम की जॉच कर सत्यापन कर अपीलान्ट को सुनकर गुणावगुण पर विचार कर पुनः नामान्तकरण निर्णित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर